राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

845608
7.7.15

क्रमांक एफ 27(12)ग्रावि/आई.ए.वाई./मार्ग–दर्शन/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर, दि 02 जुलाई, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त, जिला परिषद्।
राजस्थान।

विषय :– आवास योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले नये मकानों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अधीन निर्माणाधीन आवास के क्रम में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश जून, 2013 के संदर्भ में "नए मकान का अर्थ ऐसा बनाया गया मकान है, जिसका "निर्मित क्षेत्र" शौचालय को छोडकर कम से कम 20 वर्गमीटर हो। आई.ए.वाई. मकान इस अर्थ में 'पक्का' होना चाहिए कि वह मकान मुनासिब रखरखाव से कम से कम 30 वर्ष तक रहन–सहन और मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक कारणों से होने वाली सामान्य टूट–फूट को सहन कर सकें। उसकी छत स्थाई सामग्री की बनी होनी चाहिए और दीवारें स्थानीय मौसमी परिस्थितियों को सहने में सक्षम होनी चाहिए, और इन पर पलस्तर करने की जरूरत तभी पडनी चाहिए जब इन दीवारों की बाहरी सतह क्षतिग्रस्त होने लगे। 30 वर्ष की मियाद सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विनिर्देशों के अनुरूप बनाये गये मिट्टी व बांस के मकान भी स्वीकार्य है।"

योजना के उक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सभी आवास योजनाओं के लिए स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित दीवार निर्माण एवं छत निर्माण की तकनीक अर्थात् डूंगरपुर जिले में प्रचलित मड मोर्टार की दीवार, डूंगरपुर, बांसवाडा व उदयपुर जिले में प्रचलित सूखे पत्थरों की दीवार, करौली व हाडौती क्षेत्र में प्रचलित स्टोन पट्टी की दीवार एवं छत कार्य के लिए करौली व हाडौती क्षेत्र में प्रचलित स्टोन पट्टी छत, राज्य के सभी क्षेत्रों में प्रचलित स्टील टीनशेड छत व डूंगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर व प्रतापगढ में प्रचलित केलहु (इंगलिश/गुजराती) आदि पक्के मकान हेतु अनुमत है। इसके अतिरिक्त भी उपरोक्त पैरा में वर्णित शर्तों की पालना कर स्थानीय तकनीकों से निर्मित पक्के मकान जो कम से कम 30 वर्ष तक रहन–सहन एवं मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक कारणों से होने वाली सामान्य टूट–फूट को सहन करने योग्य हो, अनुमत होंगे।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंरावि।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि।
8. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
9. परियोजना अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, (मो. एवं मू)। वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत्।
10. समस्त परियोजना निदेशक एवं योजना प्रभारी, ग्रामीण विकास विभाग।
11. समस्त जिला कलक्टर।
12. समस्त जिला प्रभारी।
13. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
14. समस्त परियोजना अधिकारी/योजना प्रभारी (आवास) जिला परिषद।
15. समस्त परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद।
16. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
17. समस्त योजना प्रभारी (आवास) पंचायत समिति।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)